न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 32/2021
जीसीएमएस नः– 2021/99
दायर दिनांक :– 01/10/2021
निर्णय दिनांक :– 11/09/2023

अनवान

श्री बाबुलाल पिता देवा बलाई राजपुत, निवासी जवारिया, तहसील गढबोर, जिला राजसमंद

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढबोर जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गढबोर प्रकरण संख्या 71/2021 ना0क0 बअनवान सरकार बनाम धर्मसिंह निर्णय दिनांक 14.09.2021

उपस्थित :–

1–श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 11.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0–04–00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिकमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रिमी मानते हुये लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/– आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 14.09.2021 को पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट के बडे भाई गिरधारी पिता देवा का ही कब्जा है, तथा बडा भाई होने से अपीलान्ट भी साथ में रहने से उपयोग उपभोग करता है। अपीलांट के राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0–04–00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार गढबोर के यहा रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्ट के विरूद्ध

बेदखली के आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। वास्तव में अपीलाण्ट के बडे भाई गिरधारी पिता देवा का ही कब्जा है, तथा बडा भाई होने से अपीलान्ट भी साथ में रहने से उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता है, इस कारण पटवारी ने गिरधारी के नाम 91 रा0ले0 एक्ट की रिपोर्ट नहीं देकर अपीलान्ट के नाम दी। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर बताया कि गिरधारी पिता देवा को पंचायत खरनोटा ने दिनांक 26.11.1984 को पट्टा संख्या 3015 द्वारा 30 × 45 का भूखण्ड दिया था, जिस पर गिरधारी दिनांक 26.11.1984 से गिरधारी काबिज है, वहा छोटा कच्चा घर भी बनाकर रहता था पत्थरों से कोट बना रखा है। अपीलान्ट को जवाब पेश करने का अवसर भी नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने टाईप शुदा फैसला कर दिया, सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया, अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0–04–00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस ,प्रस्तुत विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0–04–00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अतिक्रमण है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, की धारा–91, में की गई बेदखली की कार्यवाही तथा लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/– आरोपित करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91, के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रकियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं, अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारीज की जाती है।

11/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

11/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द